तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **सीतादेवी बनाम कुन्जबिहारी** **अपील संख्या जीसीएमएसं नम्बर 2021 / 179**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.07.23	अपीलार्थीया की ओर से श्री कृष्णकान्त शर्मा एडवोकेट द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा किये जाने अपील प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब की गई। अपीलार्थीया स्वयं भी उपस्थित जिसकी पहचान उनके अधिवक्ता श्री कृष्णकान्त शर्मा एडवोकेट द्वारा की गई एवं अपीलार्थीया के आधार कार्ड नम्बर 4071 6693 3908 की छाया प्रति भी पेश की। अधिवक्ता अपीलार्थीया ने कथन किया है कि अपीलार्थीया को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 648, 770, 772, 774 में अपने हक व हिस्सानुसार भूमि मौके पर प्राप्त हो चुकी है तथा अब अपीलार्थीया उक्त प्रकरण को विड्रा के आधार पर खारिज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण विड्रो के आधार पर खारिज किये जाने की कृपा करें। हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी स्वयं की अपनी अपील को विड्रा कर खारिज करवाना चाह रही है तो ऐसी स्थिति में अब इस हस्तगत अपील को आगे चलाये रखे जाने का कोई औचित्य भी प्रतीत नही होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीया द्वारा अपनी अपील विड्रा किये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (अन्तरसिंह नेहरा) संभागीय आयुक्त जयपुर।	